

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022)

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	ललित पंघाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन परियोजना में वनमंडल रीवा के वन परिक्षेत्र हनुमना के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-399 (ग्राम सरदमन, खसरा क्रमांक 677/2क) रकबा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमंडलाधिकारी रीवा की अनुशंसा अनुसार उक्त वनभूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ.-399 के आस-पास राजस्व भूमि में पूर्व से खदाने संचालित हैं। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा प्रकरण मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत ललित पंघाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा को खनिज पत्थर उत्खनन हेतु कक्ष क्रमांक पी.एफ.-399 (ग्राम सरदमन, खसरा क्रमांक 677/2 क) की रकबा 2.21 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी वनमंडल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-399 रकबा 2.21 हेक्टेयर वन भूमि खनिज पत्थर उत्खनन हेतु ललित पंघाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा के पक्ष में व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10/11/2022
स्थान: रीवा

(राजेश कुमार राय)
वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)